

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं० 2022/89

सिविल प्रकरण संख्या:- 33/2022

तारीख रजू 01.12.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....
आवेदक

बनाम

1. सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहन लाल जैन (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स आशा शर्मा ढाबा, कुस्तला तिराहा, टोंक निवाई रोड़, सवाई माधोपुर निवासी:- सत्यनारायण मंदिर के पास कुस्तला सवाई माधोपुर राजस्थान


..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 23.12.2025

उक्त न्यायनिर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 28.07.2022 को सांय 04.00 पी.एम. पर मैसर्स आशा शर्मा ढाबा, कुस्तला तिराहा, सवाई माधोपुर पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु सब्जी तैयार करने में काम में लिया जा रहा पनीर फ्रिज में लगभग 5.0 किलो रखा था। इस में गुणवत्ता में कमी होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1 कि०ग्रा० पनीर खरीदकर उसकी कीमत 220/- रुपये विक्रेता सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहन लाल शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सतीश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान योगेश शर्मा एवं बी.एल. तगाया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20-20 बूंदे डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2371** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-2371** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर



गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सतीश कुमार शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति सतीश कुमार शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/25 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2510/एक्ट/2022/2550 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर, **Sub Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011** प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक विरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/247 दिनांक 29.11.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदक फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011**, पनीर का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जबाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभि0 अधि0 ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान खींच कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011**, पनीर का विक्रय/निर्माण

न्याय निर्णयन आवेदक
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर



करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शारित राशि से दण्डित किया जावे।


अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश किये गये जवाब को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त के भोजनालय से खाद्य पदार्थ पनीर का जांच हेतु नमूना लिया गया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। प्रार्थी द्वारा उस समय नया नया काम शुरू किया था। प्रार्थी पनीर बाजार से खरीदता है। अन्त में प्रार्थी ने प्रकरण झोप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/2510/एक्ट/2022/2550 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार खाद्य नमूना पनीर सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार पनीर की जांच में Fat content of the dry matter का परिणाम 50.0% से कम नहीं होना चाहिए था किन्तु जांच रिपोर्ट अनुसार 44.39% पाये जाने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौरान जांच अथवा बाद में भी अग्रिम खरीद का कोई बिल पेश नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त का कथन कि उक्त पनीर उनके द्वारा बाजार से खरीदा गया है सही प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शारित राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 15,000/-रु० (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) की आर्थिक शारित राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शारित राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर